

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024—पौष 10, शक 1946

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्र.-एफ-06-02-2022-तीन-जेल.-मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवारं एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024 (क्रमांक 13, सन् 2024) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-06-02-2022-तीन-जेल जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम अब उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

No.-F-06-02-2022-III-JAIL.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sudharatmak Sevayen Evam Bandigrah Adhinyam, 2024 (No. 13 of 2024) and in supersession of this Department's Notification No. F-06-02-2022-III Jail, published in the Madhya Pradesh Gazette on 30th September, 2024, (Ex-ordinary), now the said Act, shall come into force on such date, as the State Government, may, by notification publish in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.